

नगर पादिका बिसाऊ

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भूमि पट्टा विलेख

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (ख) के प्राक्कानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भूखण्डों के उपयोग हेतु।)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक _____ 20____ को, आवेदन / विक्रय पत्र में _____ सन _____ को लक्ष्मण राज्य के राज्यपाल जिनसे इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर श्री/श्रीमती Pdita Poon पुदीता पुडिता द्वारा राज्यपाल कार्यालय पत्र / पंक्ति _____ जाति _____ व्यवसाय _____ निवासी _____

(जिनको इसमें इसके पश्चात् पदोद्धार कह कर संकेचित किया गया है और इस इबादत में जहां कहीं प्रश्न से वैसा अर्थ निकले उनके उत्तराधिकारी निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मूलाकील अलौह भी शामिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

[illegible]

* उक्त मूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि 89 वर्ष होगी।

2. (अ) पट्टेदार, नगर पालिका विसा.उ. के कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त मूखण्ड के संबंध में आरक्षित दर रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल राशि रुपये की 2.5% की दर से शहरी जमा नदी जमा करायेंगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने

(ब) दस वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एक मुक्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5-2 न. वि. 13/99

दिनांक 16-11-89 को अनुसार शहरी जायदमी आरक्षित पर को बजाय केवल नियमन राशि 149990 रुपये को 2.5% प्रति वर्ष को दर से देय होगी ।
 शहरी जायदमी नी नी निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी 15 वर्ष की अवधि आयन्त पत्र जारी होनेकी स्थिति से संगणित की जायेगी ।

4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिस्थित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमान्दगी के कारण वाजिब हो अदागारी न कने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय गालगुजारी के बकाया की वसूल करने के लिए निर्देशित किया गया है, वसूली करेगी और वसूल करने के लिए सक्षम होगी।

एक भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटन अनुसार ही करना होगा। आवासीय भूखण्ड का व्यावसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग किसी भी भाति नहीं किया जा सकता। निर्मित भूखण्ड के संबंध में राज्य सरकार को आदेश दिनांक 40.799 क्रमांक प-3/5 न.विधि./3/99 द्वारा लभ नियमों के प्राधान्यों में प्रवेश शर्तों का तहत नियमन योग्य निर्माण ही निर्मित किया जाना है तथा नियमन अधिनियम निर्माण के संबंध में संबंधित अधिनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

यदि मूषण्ड 500 वर्ग मीटर तक का रिक्त हो तो उस पर निर्माण आवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है एवं सेट बैक साईट प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे तथा पालिका के दिष्टिग, बाइलाज के अनुसार निर्माण करना होगा। इसके लिए मूषण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवंटन पत्र आवश्यक दस्तावेज के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यदि मूषण्ड 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण प्रक्रिया से भवन के नक्शे को नियमानुसार पारा कवाकर कराना होगा। इस सीज, डेड के आधार पर उक्त मूषण्ड को सरकार, जीवन बीमा पालिका, शिड्यूल्ड बैंक, सरकारी प्रणालि कर दायी संस्था। एच.बी. एफ.सी अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अमेकृत ऋणदायी संस्थाओं का पारा भवन भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकता है।

अर्बंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रंता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगर पालिका बिसाऊ के नियमों के अनुसार पालिका से कराना होगा ।

महोदय उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिए जो पिछले मूव में निर्दिष्ट आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो न तो उपयोग में लायेगा और न उपयोग में लेने की अनुमति ही देगा ।

मन्त्र/दुकान यदि कोई हो, सहित उक्त मुखण्ड विना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जायेगा।

इस भाष्यकृत की नियमन राशि 149940 प्रति वर्ग गज की पंजीकृत मूल्य राशि रु 980/- होती है। अतएव स्थाय नं. 5542 सं 12

परिचय :- पश्चिमी भूजा 1941 300-50 [स्थल मान चित्र]

दशिण मुजा ६४५ उत्तरी मुजा ६४५ संतानम

दिनांक: 31 माह: MAY सन 2006 को हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यक्षेत्र मुद्रा सहित जारी किया गया।

अधिकारी विभागा
 विभागाधिकारी विभागाधिकारी
 नगरपालिका विभागाधिकारी

21.11.2017

1em 225)	1499	1
1499	1499	1

संज्ञा प्रथम के हस्ताक्षर

Page 1 of 1

संज्ञी प्रथम क हस्ताक्षर

[illegible]

20:- को

विद्यार्थी ने हस्ताक्षर किये गये।

